

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR):** Madam, I deeply regret that I was not here when my name was called. With your permission, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Corrigendum to the Annual Accounts of the Central Silk Board, for the year 1984-85.

(ii) Corrigendum to the statement giving reasons for the delay in laying the Annual Accounts of the Central Silk Board, for the year 1984-85.

[Placed in Library. See No. LT-3211/86 for (i) and (ii).]

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** The House stands adjourned for lunch. We will meet again at 2-30 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty-nine past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri Pawan Kumar Bansal) in the Chair.

#### **THE JUVENILE JUSTICE BILL, 1986—Contd.**

**SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh):** Mr. Vice-Chairman, Sir, this is an important Bill before us that we are considering. Sir, this is not a new legislation. There is an Act known as the Children's Act in the country already and I do not know what improvement is made in this new Bill over and above the existing law. The existing law, it is reported, is not properly functioning because of lack of funds. In that case, if you do not provide sufficient funds to the States, there is no use of getting any new law legislated. Sir, 35 per cent of the total population of the country constitutes the children. I mean to say, children covered by this

new legislation are constituting to the extent of 35 per cent of the total population of this country and they are the future of the country. (*Interruptions*). Children are the precious wealth of the country. Future of the children is the future of the country. In that sense it is the most important Bill and we have to pay full attention to this Bill and we have to devote our entire energy to implement this new legislation effectively.

Sir, this Bill provides for care, protection, treatment development and rehabilitation of the children. If it is not properly implemented, there is a great danger in its misuse also, because some parents may be attracted by the provisions in the Bill and facilities for children in the Bill and they may prompt and inspire children to commit certain wrongs because they know that they will escape certain type of punishment. There is another disadvantage also. Criminals may also take advantage out of it. Our primary goal is not to send children to jails or in police custody. It is a welcome feature. But the criminals may take advantage out of it. They may prompt children to commit offences because there is no possibility of punishment for them. They cannot be sent to jails and they cannot be sent to police custody. Of course, it is a welcome feature that children are not sent to police custody. We know and we have been reading in the newspapers that police are known for torturing people in custody. They are known for being responsible for lock up deaths. They are also known for rapes and all that in jails. We have been reading in newspapers that criminals and prisoners are ill-treating children if they are put along with them. They have gone to the extent of fulfilling their devil desires with the children put in the jails. So, it is a welcome feature that children should not be sent either to jails or in police custody.

Sir, first of all, we must know what are the reasons for children becoming criminals. Children are not born criminals. They are made criminals. We

know the proverb: Idle brain is a devil's workshop. Children are lazy, they are idle, they are not engaged in a proper way, that is why they are searching for some activity and they are attracted by some bad elements. In the cities they are surrounded by pick-pockets, they are surrounded by beggars. And in villages they are surrounded by animals and all that. That is why they have no proper environment for proper growth. That is why they are attracted by people indulging in crime. They want to do something. It is therefore necessary that children must be prompted to go to school for education. There is a provision in the Directive Principles of our State Policy for compulsory primary education. But it is not properly implemented. If compulsory primary education is properly implemented, children can be engaged in education and they will not have an idle mind and they cannot be attracted by these bad elements. In that situation they will concentrate on their studies only.

Apart from that, you know that the process of slum clearance is going on. The slum dwellers are living in a horrible condition. Of course, when the huts are removed, in their place the multi-storeyed buildings come up and more population is accommodated in them. Then there is no provision for recreation. There is no space or building for community activities. When there is no recreation in the slum areas and when there is more congestion in multi-storeyed buildings, the rate of crime goes up.

Then, Sir, the vocational training is totally lacking in our country. If vocational training and vocational education is encouraged by the Government and its organisations, children will get trained and they will get early employment.

Sir, in this particular legislation I welcome one feature. Of course, there is confusion in homes, juvenile homes, special homes and observation homes. And this confusion may go to the extent of throwing responsibility from

one home to another home. That is why, this is a disadvantage. I do not agree with Dr. Bapu Kaldate who was against the entrustment of this responsibility to the States. I welcome this thing. The Central Government cannot organise a parallel set-up there and this should be left to the State Governments. But they should be sufficiently financed. There should be sufficient allocation of Plan funds for the execution of this legislation by the States.

I would like to make another suggestion. The problem of delinquency comes mostly from broken marriages. That is why, I would suggest that the children of such broken marriages should be adopted by the State and they should be cared for in children's homes. With these words, I welcome and support the Bill.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to extend my wholehearted support to this progressive social welfare legislation which has been brought before us for our consideration and which seeks to provide in a comprehensive manner, to the subject of juvenile justice, a framework which, in its totality, would give to our children protection, care, treatment, development and rehabilitation. Juveniles, that is children, who either violate the law or who are subject to social maladjustments, are, as it is, being covered by various Acts in different States, known as the Children Act. Not that we do not have a legal framework to deal with them. But there is a lot of variation. There is a lack of uniformity in these legislations. I am glad to note that the present Bill seeks to remove that lack of uniformity and seeks to provide a uniform framework under which we would take care of our juveniles.

As you know, juvenile delinquents are victims of deprivation, want poverty and unemployment. They become delinquents because somewhere in the chain, there is a breakdown of

[Shri Ajit P. K. Jogi]

the primary protective institutions. Hopefully, the new legislation which we are considering would provide those missing linkages, would provide that missing co-ordination between the agencies on the one hand and the formal frame or juvenile justice on the other. By agencies I mean, the Centre, the States and voluntary organisations. The hon. Minister rightly mentioned that children are the treasures of the nation. They are the pillars of our strength. They are the future of India. Someone rightly quoted that child is the father of the man.

It is also a fact that no child is born a delinquent. It is the circumstances which create delinquency; the environment, the milieu, the society, the parents, who are responsible for creating juvenile delinquents. Therefore, I feel, a very heavy responsibility is cast on us, Parliamentarians, to provide for a framework, a comprehensive framework, under which we can take care of our juveniles, whether they are neglected or whether they are delinquents. And I am happy to say that perhaps in pursuance of that responsibility we are applying ourselves to this legislation.

Coming to the various clauses and provisions of the Bill, I would like to mention that by a mere reading of the legislation one comes across a number of salient features which the hon. Minister rightly referred to as the highlights of the Bill.

First and foremost, I think, the provision which separates the juveniles from the hardened criminals is perhaps the most important highlight of the legislation. I remember, about 10 years back, when I was the Collector and District Magistrate of a district, there were a serious of heinous murders in a district and there the offences committed were mysterious, in the sense, that they used to commit these offences in the posh area of the

town. After having murdered the occupants they used to open the refrigerator, eat bread, butter and jam, and then take away the valuables. After a long time the police succeeded in locating the criminals and to our utter surprise we found that these series of murders in the posh colonies of that town were committed by two boys who were hardly 14 to 16 years of age. When I was talking to them, they mentioned that sometime back they were sent to jail in a very very ordinary case of theft. There they came across a hardened criminal, a bully, who was a terror in jail. He used to beat them, terrorise them. He even committed unnatural offence on them. Somehow, he became their ideal. He trained them, taught them the tricks of the trade and after coming out of the jail they were fully trained to commit these barbarous offences. With that incident in view, and these examples could be multiplied manifold, I personally feel that this provision that the juveniles would never be allowed to come in contact with the hardened criminals, is really a highlight of the Bill and the hon. Minister needs to be applauded and commended for this.

Another provision which I would again like to term as a highlight is the provision relating to the role of voluntary agencies. For the first time, we find that the voluntary agencies have been given a very prominent role in a Bill. They have been vested with responsibility, they have also been vested with powers and a lot of trust is being reposed in voluntary agencies. Perhaps, we are used to reposing that kind of trust in our much maligned bureaucracy but, for the first time, I notice that this Bill is reposing a lot of trust on our voluntary agency, I commend the hon. Minister for this highlight of the Bill also. The very nature, the very theme of the Bill also needs to be commended. It recognises two kinds of delinquents—the juvenile delinquents and the neglected delinquents. It provides for Boards that will look after the neglected delin-

quents, the courts that will look after the juvenile delinquents. It provides for **their** powers, it provides the framework where the procedure is laid down. It gives a lot of responsibility to the voluntary agencies. There is a role for the parents also. It also provides for these Homes to be set up—separate Homes for the neglected juveniles, separate Homes for the delinquent juveniles and temporary homes for them as long as the enquiry goes on. These are the salient features on which the structure of the Bill is being erected and I find that perhaps a lot of thought has gone into it. a lot of work has gone into it and that is why a comprehensive Bill which intends to, which seeks to take care of the delinquents, which seeks to provide for protection, which seeks to provide for treatment, which seeks to develop them and ultimately which seeks to rehabilitate them in life has been put forward before us.

With this background, I would like to mention a few misgivings which I have for the consideration of the hon. Minister. First and foremost, as has been mentioned by other hon. Members, is in regard to implementation. All our social welfare legislations have failed and flandered on the anvil of implementation. We know the fate of the Anti-Dowry Act, we know the destiny of the Sharada Act, we also know the fate of Art. 24 of the Constitution which prohibits child labour and more recently we also saw the fate of the Anti-Terrorist Act. What I intend to say is that all the social welfare legislations can be effective only when a lot of consideration is paid to the implementation part. I hope that we would be able to, Government would be able to evolve a monitoring system wherein the implementation part of the Bill would be adequately looked into.

My second misgiving is in regard to the responsibility we are giving to the States. It has rightly been entrusted

to the States that they would be responsible for the implementation of the Bill. But we know the financial constraints that the States face and unless we can provide adequate funds to them, perhaps they will find it extremely difficult to implement it according to its soul and spirit. There should be a financial guarantee behind this, otherwise the States would not be able to implement it because there are lakhs and lakhs of juveniles in the country and we would require thousands and thousands of Homes to be set up for them. (*Time bell rings*) Sir, I will take two minutes more.

My third apprehension relates to the voluntary agencies. As it is, there are very few voluntary agencies in this area and unless we can provide them adequate financial support, they would not be able to contribute as much as we want them to. My fourth misgiving relates to the age. We have said that 16 years for boys is the age under which they could be treated as juveniles. These days 16 years is quite a ripe age and we know of instances when boys of this age have been misused by vested interests. Specifically I would like to mention that perhaps boys of this age may be misused by the terrorists, they may be misused by those who are smugglers, by those who are dealing in narcotics and perhaps we should give some consideration to this aspect that if these delinquents are used by these categories of people there should be some stringent punishment specifically provided for them. Otherwise the tendency to misuse specially boys of that age would always be there.

The kind of frame that the Bill presents before us would require a detailed training of the personnel. We have not thought of the methodology, the format, by which we would be able to train so many people who would be working in this area. That should also be specifically provided.

We have also not been able to provide as to how we are going to monitor the implementation of this Bill by

[Shri Ajit P. K. Jogi]

the States. As we know, if we leave it to the States there would be a number of States which would take it very very casually. As someone has mentioned, the powers of the Board would ultimately be entrusted to the District Magistrates. I have been a District Magistrate myself and I know that that officer would not be able to devote as much time, as much energy and as much attention to it as we are envisaging him to. (*Time bell rings*)... I would conclude in the next two minutes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Not two minutes now, please, just conclude now.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): What happened to the Treasury Benches? They are completely vacant. They have deserted... (*Interruptions*)... Only when the Prime Minister comes they are here... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): It is not a question of Treasury Benches or Opposition. We have to see to the quorum and that is present here.

SHRI AJIT P. K. JOGI: I could have finished within this time; Sir.  
... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Please carry on.

SHRI AJIT P. K. JOGI: I have a few suggestions to make. My first suggestion relates perhaps to a clerical error which has crept in. One Act has been mentioned as "The Suppression of Immoral Traffic Act." That Act no longer is known as "The Suppression of Immoral Traffic Act." It is now the Prevention of Immoral Traffic Act. Unless you make an amendment in that, you will have to come back to us with an amendment and it will require more time here. So, please correct it.

About the financial resources, we all know that that would be the main constraint in the implementation of this Bill. I have a minor suggestion. There used to be a provision under section 35 (c) in the Finance Act under which companies and persons who were paying income tax were exempted from income tax if they donated money for such purposes. I would request that necessary amendment may be brought in so that if companies and others wish to donate for this laudable cause, they could be exempted from income tax and that would perhaps lead to mobilization of a lot of financial resources.

My second suggestion relates to the oft-quoted saying that prevention is better than cure. Experts have gone into this problem. We know the causes of juvenile delinquency and juvenile neglect, and we should strive and strike at the root of these causes, well-known causes like influx of population from rural to urban areas wherein the protective primary structures are affected and the boys and girls become delinquent. That problem should be looked into in its totality, 3.00 P.M. and it should be attacked at the root level—the problem of poverty, unemployment, the problem relating to widows not being permitted to get remarried, and if they are in this age group they turn to brothels, the problem of parental neglect, the problem of slums which are the nurseries of our juvenile delinquents and juvenile neglect—these are the problems, these are the areas which have been identified by our experts as areas which produce juveniles delinquents. I hope, we would be able to devote time to go into the root of the causes and attack them at their root itself. It is true of every social welfare legislation, and it is true of this legislation also. We must also have a massive publicity campaign to create social awareness about this problem. We will have to include it in the curricula of schools and colleges. We will have to take the media into confidence

and thereby manage a massive drive to create social awareness in this regard. (*Time bell rings*)

Just two more suggestions, Sir.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR MANSAL):** It has been 22 minutes now. You will have to conclude please.

**SHRI AJIT P. K. JOGI:** I am concluding.

The punishment for an offence like child-lifting is at the moment provided in the Penal Code. As we know, child-lifting is one of those offences which ultimately leads to delinquency, and my request is that there should be a very very stringent punishment for an offence like child-lifting, not less than life imprisonment.

We have not provided for any scheme in the Bill for identification of juveniles. If we leave it to the system, our experience is that only those juveniles would come into our homes, who are identified in the routine manner. The police comes across, and they will bring them to homes. But there are lakhs and lakhs of other juveniles who would not come into these homes. So, my request is that we must launch a drive to conduct a detailed survey for identification of juveniles in the country, and all those juveniles who are identified as juveniles, should be taken into the homes if we are really serious about implementing it.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL):** Please conclude now. Otherwise I will call the next speaker.

**SHRI AJIT P. K. JOGI:** My last point

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL):** There should be only a point and no explanation. I will have to call the next speaker.

**SHRI AJIT P. K. JOGI:** About the rehabilitation part, we know that in the homes that we already have, we do not have a scheme under which we

really can rehabilitate the children properly. There are orphanages in which children are living. But when they come out, they are not properly rehabilitated. I hope that in these homes the rehabilitation part will be paid a lot of more attention.

Thank you very much.

**श्री शंकर सिंह बाधेल (गुजरात) :** उप-सभाध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने पहले महिलाओं के बारे में बिल लाया, उसके बाद बाल सज्जदों के बारे में और अब किशोर न्याय बिल लाकर उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। हमारी मंत्री जी महिला हैं और वे एक माता की नजर से उन किशोरों को देखेंगी तो मैं समझता हूँ कि इस कानून का अमलीकरण, इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। सब से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि जिससे राज्य है इनमें कितने किशोर जेलों में बन्द हैं इनको कल से या जब मैं आप वापस जेलों से निकाल कर जो भी विचारों को आप ठीक समझें जिसकी जल्दी हो सबसे पहले सिफ्ट करें। 14 नवम्बर को नवम्बर जी का जन्म दिन होता है उस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस के दिन जो बच्चे हैं इनको यदि सजा हुई हो तो उससे कटाव की सुविधा दी जाती है उसको 14 नवम्बर को छुट्टी दे दी जाती है। इसलिए वे भी आप ठीक समझें उसके सजा के हिसाब से अपराध के हिसाब से छुट्टी की सुविधा आप दें। इस कानून के अनुसार आप किशोर न्यायालय किशोर कल्याण बोर्ड हर जिले में बनाएंगे हर जिले में किशोर गृह या विशेष गृह इसकी सुविधा आप दो चार छः महीने में दें और इसको पूरा काम करना चाहिये और उस बोर्ड में पुरुषों को न रखा जाए महिलाएं रखी जाएं और वह भी बच्चों वाली महिलाएं रखी जाएं। ऐसी महिलाएं न रखी जाएं जिनको बच्चों और माता का प्यार न हो ऐसे पुरुष या ऐसी महिलाएं नहीं रखी जाएं केवल बच्चों वाली महिलाएं उस बोर्ड में हों। यह मेरी आपसे विनती है। इससे बच्चों को मां की ममता मिलेगी। इसकी जड़ में अगर आप जाएं तो हम जिम्मेदार हैं, हमारा समाज जिम्मेदार है और समाज को चलाने वाली हमारी

[श्री शंकर सिंह बाघेला]

सरकार ही जिम्मेदार है। बच्चे दो किस्म से बिगड़ते हैं। एक पैसे वाले और दूसरे गरीबों के, एक शहर वालों के और दूसरे गांव वालों के। गांव वाले किशोर भाग कर नजदीक के शहर में आते हैं। गांव में किशोर यदि बिगड़ गया है या खराब हुआ है तो उसको ज्यादा अपराध करने है तो मौका शहर में ही मिलता है। इसकी भी वजह है। शहर में पैसे वालों के बच्चे बिगड़ते हैं। इनकी एक अलग ही दुनिया है। एक अलग कारण है। लेकिन आम तौर पर जो किशोर खराब होता है अपराध के रास्ते पर जाता है वह सब से पहले अभि-ताम बर्चन जो हमारे सांसद हैं इनकी नकल जो लोग करते हैं या रुमाल बांध कर आवारा-गदीं करते हैं इसका सब से ज्यादा इम्प्रेशन हमारे किशोरों पर पड़ता है यानी सिनेमा के कारण ही... (व्यवधान) सिनेमा के दिखाने की लिए 'ए' सर्टिफिकेट या 'यू' सर्टिफिकेट देने के लिए हमारी केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। इसका अर्थ यह है कि किशोरों द्वारा पिक्चर देखने से अपराध करने की वृत्ति पैदा होती है। कान पैदा करता है, पिक्चर ज्यादा लोभ देखें इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मारा-मारी, गुंडागर्दी, हिंसा, बैंक लूटना, यह करना, वो करना... (व्यवधान)

**श्रीमती शान्ती पहाड़िया (राजस्थान) :** अभिताम बर्चन करते हैं (व्यवधान) ऐसा नहीं कहना चाहिये (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह बाघेला :** एम.पी. हों चाहें जो भी हों (व्यवधान) हम को कोई सवाल नहीं है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) :** आप नाम ले कर मत कहिये, वैसे कहिये। (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह बाघेला :** बच्चे इसको ले लेते हैं। (व्यवधान) जितने एम.पी. हैं इन सब के बच्चे होंगे वे भी अभिताम बर्चन से मूलाकात करने की लिए शक हूँ करने के लिए जरूर कहते होंगे, यह कोई खराब बात नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि पिक्चर

की स्टोरी होती है (व्यवधान) इसमें एक्शन होता है उस एक्शन के हिसाब से किशोरों के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है, प्रभाव पड़ता है। मुझ को याद है एक एक पिक्चर में धर्मेन्द्र एक बैंक को लूटने का एक्शन करता है। इसके बाद एक किशोर ने भी एक बैंक में डाका डाला और वह पकड़ा गया तो उसने सब से पहले कहा तो उस किशोर ने कहा कि मैंने यह फिल्म देखी और इसमें से प्रेरणा मिली कि मैं भी बैंक पर डाका डालूं। तो सब से पहले यह सर्टिफिकेट देने वाली हमारी इन्स्टीट्यूशन ऐसी गुनाही इम्प्रेशन या हिंसा या मारामारी या रोंप या डाकागिरी, जो भी उसमें आता है, उस स्टोरी को कटवाया जाए। इनको यह न दिखाया जाए। न सिर्फ मैं पिक्चर, सिनेमा की बात करता हूँ, वही रूपीटीशन टी.वी. पर होता है। आज टी.वी. कोई शहरों में या पैसे वालों के लिए नहीं है, टी.वी. सब जगह हो गया है। तो टी.वी. पर देखने वाले बच्चे सब से ज्यादा, उन किशोरों पर सब से ज्यादा इम्प्रेशन टी.वी. की जो पिक्चर होती है, उसका होता है। उनका डायरेक्ट असर होता है। उनका कच्चा दिमाग होता है, तो आप जैसे भी इनके ऊपर इम्प्रेशन डालेंगे, वैसे ही इम्प्रेशन उन पर होता है। इसके साथ ही लिट्रचर भी ऐसा होता है कि जिससे देखकर और पढ़ कर बच्चे के दिमाग में आता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। जो चीफ लिट्रचर हमारे आते हैं, जिसमें स्पार्डिंग का ज्यादा होता है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध को सोचना चाहिए। स्टोरी और साहित्य के पब्लिश करने का तरीका की इन्हीं इन्स्टीट्यूशंस में से यह जाना चाहिए, इसके ऊपर भी रोक आनी चाहिए।

इसकी बड़ में है एजुकेशन। पहले हम अंग्रेजों के टाइम में जैसे हमारी गायकबाड़ गवर्नमेंट थी, उन दिनों में भी प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी था। आज हम प्राइमरी कम्पलसरी एजुकेशन नहीं देते हैं, चाहें लिखा होगा, लेकिन एक्सक्यूशन नहीं होता है। तो एजुकेशन देने से बच्चे स्कूल में दो-चार घंटे तो बंद रहते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वह टीचर प्राइमरी स्कूल का जो गांव में, शहरों में कम, उन बच्चों

को ऐसा दूँट करता है, मारता है, उनके सामने बीड़ी पीता है, सिगार पीता है, घर का काम करवाता है और बच्चा पढ़े, ना पढ़े और कैसा भी इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़े—उसको सुशिक्षित करने में शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती है।

तो ऐसे टीचर जो बच्चों के प्रति प्यार न करते हों, इनका भी एक सर्वे करके इनको भी उस नौकरी में से निकालना चाहिए, या ऐसे क्लासेज रखनी चाहिए जिनसे ऐसे किशोरों के प्रति अच्छा प्रेममय व्यवहार करें और सब से ज्यादा, उपसभाध्यक्ष महोदय, बच्चों को प्यार नहीं मिलता है और प्यार न मिलने से माता-पिता से नाराज होकर जहाँ भी रास्ता मिला, वह भाग जाते हैं।

इसलिए इन बच्चों के जहाँ भागने की इनकी जगह होती है—वच्चे भाग कर शहर में एस.टी. का जो बस का अड्डा होता है, बस अड्डा या रेलवे प्लेटफार्म पर आता है। क्या आप ऐसी स्कवाड बनायेंगी जिसमें महिलाएँ हों, जेंट्स नहीं, जो हर प्लेटफार्म पर, बड़े-बड़े रेलवे स्टेशंस पर या बड़े-बड़े बस अड्डों पर रात को या दिन को वाच करें कि कौनसा किशोर भागा हुआ नजर आता है, कौनसा किशोर ऐसे ही सोया है, चाहे उसने खाया है, नहीं खाया है, उसको पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ है, उस बेंच के ऊपर वह सो जाएगा। तो ऐसे किशोरों को पकड़ने की सुविधा सब से पहले रेलवे प्लेटफार्म या बस अड्डों पर—इसमें आप अच्छी बहिनों की टीम बनायें, चाहे आप म्यूनिसिपैलिटी लैबल के ऊपर शहर लीजिए और इसमें ऐसे तो आपको 30 प्रतिशत किशोर भागे हुए वहाँ पर अपराध करने से पहले आपके हाथ में आएंगे जिनको आप अच्छी ट्रीटमेंट देकर बाद में कुछ कर सकते हैं और हर प्लेटफार्म पर आज भी कूली 12—14 साल का कूली, हम एम.पी.जी. भी इनके सिर पर डवल-बेड लदवा कर दिल्ली स्टेशन से आज भी आ रहे हैं। आज भी दिल्ली स्टेशन पर आपको 12 साल का कूली मिलेगा। कौन रोकेगा इसको? कहां से आया वह, कूली बनना ही नहीं, लेबर भी वही है और उस लेबर

में आप कम से कम हमारे सरकारी जितने प्रतिक्रम हैं या उपक्रम हैं जितने, इनको तो रोकिये कि बच्चों को न रखें क्योंकि वहाँ से भी गंडागर्दी चालू होना और वहाँ इनके ऊपर मजदूरी का वजन या बाकी उसको तकलीफ जो होती है, उसमें से वह नाक जाता है। तो वह न नाकी, इसलिए ऐसे कूली या लेबरज को भी आपको रोकना चाहिए और यही बच्चों का मिस्युज करने वाले लोग फिर मादक द्रव्य या शराब की बातें जहाँ ड्राई एरिया है—या इनके हाथ कटवा कर भीख मंगवाना, बच्चों को भीख मंगवाने के लिए जो गैंग काम करता है—**(समय की घंटी)** हर शहर में उस गैंग के लोग, ज्यादा हमको दया हो, इसलिए आंखें निकाल दी, दो हाथ काट डालते हैं, इनका शरीर इस तरह पूरा विकृत शरीर करते हैं कि इसान को दिया आए और उसको पांच-दस पैसे दें। पहले उस गैंग के लोगों को पकड़ कर लाइफ्टाईम बंद कर देना चाहिए। इसकी आगे और भी कि भीख मांगने वालों का एक गैंग ही होता है ऐसा नहीं है बल्कि हमारे देश से जो बाहर जाते हैं उनमें ज्यादा कोरल और साउथ इंडिया से ही ये हमारी छोटी-छोटी बहनों विदेश में भेजी जाती हैं तनज के रूप में। कोई भी धर्म हो आप यह कायदा करेंगी क्या कि कोई भी धर्म में 16 साल से नीचे का जो भी किशोर होगा वह उस धर्म में नन नहीं बनेगा और साधू और संत का रोल अदा नहीं करेगा? शिक्षा-दीक्षा जो भी उसने लेना है वह 16 साल से पहले नहीं लेगा। हमारे देश में कई धर्म हैं जो कि 16 साल से पहले ही शिक्षा-दीक्षा देते हैं और संसार के बारे में बताकर और दिखाकर फिर उसको ऐसी विकृत दुनिया में डाल देते हैं कि जिससे वह निकल नहीं सकता। उसमें अगर किशोर है तो होमो-सेक्सुअल मामला चलता है और अगर किशोरी है तो प्रोस्टीट्यूशन में भेजी जाती है। उनको अरब और दूसरे देशों में यहाँ से तनज बनाकर भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें प्रोस्टीट्यूशन में धकेला जाता है अरबों की सैक्स को संतोष देने के लिए। धर्म का रूप ओढ़कर ऐसा करने वालों को आप रोकने की कौशिश करेंगी तो यह छोटी बहनों और किशोरियों पर बहुत बड़ा उपकार होगा।



[श्री शंकर सिंह बाघेला]

धर्म की आड़ में ऐसा कराने वाले बदमाश लोगों की पूरे देश में पूरे हिन्दुस्तान में एक टोली चलती रहती है जो कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर मजबूत पैसे बनाकर बेचते हैं। हर राज्य में हाथी लेकर और साधु-संत और महाराजों के रूप में ऐसे लोग हैं। बच्चों को भगा कर ले जाने वाले सब से ज्यादा ऐसे ही लोग होते हैं। अगर वे दो नम्बर के साधु हैं तो इनको पकड़ा जाना चाहिए और इनको घूमने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इनको सर्टीफिकेट दिया जाए जिससे यह पता चल सके कि यह जायज टोली है या नाजायज टोली है। बच्चों को पकड़कर भगाने वाले ये साधु, संत और महाराज ही ज्यादा होते हैं, जो कि भगवे कपड़े पहन कर ऐसी बदमाशी करते हैं। इनको आप लायसेंस दीजिए ताकि ये भी मान्यता प्राप्त हों। इसको लिए भी आपको कुछ करना चाहिए।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और रैपिटीशन भी नहीं करूंगा, और दोस्तों ने बहुत अच्छा कहा है, इसलिए मैं एक प्रार्थना करूंगा कि सिनेमाओं और टी.वी. पर भी आप कुछ कंट्रोल करें क्योंकि इन्हें देखने के बाद ही अधिकतर किशोर अपराध करते हैं। इसलिए आप टी.वी. और सिनेमा पर कंट्रोल करें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे गुजरात में अहमदाबाद की पुलिस हर किशोर की जो कि भागा हुआ होता है टी.वी. पर उसकी फोटो देती है और कहती है कि उसका यह नाम है। जिसको भी वह मिले तो उसको इनाम देंगे और उसका यह पता और फोन नं. है। देश के हर राज्य में, मेट्रोपोलिटन सिटीज में और सारे देश में आप पुलिस को ऐसी इन्स्ट्रक्शन दीजिए। मान्यवर, अगर पुलिस की हाथ में इसी प्रकार हर किशोर अपराधी का ट्रैकिंग होना तो वह एक बार अपराध करने के बाद कभी भी अपराध नहीं करेगा ऐसा नहीं है। पुलिस सब से ज्यादा उस अपराध को रिपीट कराने वाली इन्स्टीट्यूशन है। आप ऐसे किशोरों को, बच्चों को महिलाओं को सॉप दीजिए।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाघेरी : पुलिस से हटा रहे हैं।

श्री शंकर सिंह बाघेला : यह पुलिस तो मार-मार कर उसको सुजर बना देगी कि वह फिर से इंसान नहीं बन सकेगा। इसलिए आप महिला पुलिस की व्यवस्था करें जो कि ममता से प्यार से इनको सुधारे। माता की ममता के हिसाब से यह सब होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगी तो इस देश के लाखों नहीं करोड़ों किशोरों पर आपका यह उपकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, in this country there is a constitutional mandate given in article 24 of the Constitution that "no child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment". In spite of this constitutional mandate, 17 million children are employed in this field in the country. If this is one field, we can assess the number of children employed in other fields. So this is a very important aspect of the matter.

Now, many practical things have been suggested by the Members. One of the aims and objects given by the hon. Minister has emphasised the linkage and coordination between the formal agencies for juvenile delinquents that we are providing in the Bill and voluntary organisations. I think much of the task that has been suggested by the speaker hereinbefore could be tackled by the voluntary organisations. The law cannot contemplate every situation and meet every situation. There the role of voluntary organisations is very important to tackle this aspect of the matter. Now I want to make two or three suggestions at the beginning before I say something about the Bill itself. One of Honourable Members in this House said that we are making a law but are passing it on

to the State Governments for implementation. Some other Members have welcomed it. But my request is we should keep some provision for supervisory jurisdiction somewhere in the Bill; otherwise, one of the likelihoods is that this measure may meet the same fate which the 1960 Children's Act has met. This may be my misapprehension and I wish it were a misapprehension. But it is very likely that in the absence of some supervisory jurisdiction in the hands of the Central Government in regard to this matter, the measure will only remain on paper and will meet the same fate as that of the 1960 Act.

Another honourable Member has very rightly pointed out the lack of funds. Madam Minister may kindly consider this. In Clause 52 you said, "The State Government may create a Fund..." But there is no compulsion. You have only said, "... may create a Fund under such name as it thinks fit for the welfare and rehabilitation..." In Clause 52 (3) you have said, "The Fund created under sub-section (1) shall be administered by such officers or authority, in such manner... as may be prescribed." About Funds Clause 52 has left everything vague; nothing definite has been said. It is a very serious question considering the fact that various State Acts and the previous Children's Act have failed because of lack of funds. I am glad that they are coming forward with so many welfare legislations and now you have the latest in this House. But after 1960 we are now coming for the first time with a comprehensive legislation. I, therefore, thank the honourable Minister for coming forward with such a Bill wherein an attempt has been made to plug all possible loopholes. The Bill deals with both the neglected juveniles and the delinquents. Both clauses are there. Yet the question remains how to make implementation of this Bill a success. I have broadly categorised this question. Firstly, administration of criminal justice is already there. Bapu Kaldate has said that lawyers should not be

given the licence because the belief is a lawyer will always perpetuate the dispute. If that is your fear, then you provide free legal aid to these children. If you do not do it, then you are leaving these children in the hands of the police and those magistrates whom you have created. And you know the kind of magistrates that you are having in the lower judiciary, in the district courts, even the judicial magistrates, their coordination with the local police, the way the police is prompting them. If it is left in the hands of the police and you do not like lawyers, you cannot successfully implement this measure. Therefore, you have to create voluntary organisations. At least in adjudication in a local court a voluntary organisation is a must, it is essential. It has been provided in very good detail here. Then why are you excluding lawyers? If you think lawyers will extort more fee, then arrange free legal aid. The honourable Chief Justice of the Supreme Court, Shri P. N. Bhagwati, and other Judges of the Supreme Court had suggested before this Bill was framed that each District Judge might appoint at least one Magistrate in each district to go and find out whether the boys below 16 or 18 were kept with hardened criminals or not and I think after Mr. Bhagwati's famous judgment this question arose and we also started considering this question and pondering over it. Many of us felt that there should be provisions in the Bill so that they are kept separate. Of course, there is a complication about it which I realised later because you have got not one category, but three or four categories. You have got different types of homes like the Special Home, then Observation Home, etc. It is very good. It is very ambitious. It is good to create such categories and put them separately. Of course, they will be put apart from hardened criminals. But the question is from where the funds would come for their maintenance. If it is left to the State Governments, they may create a fund in any manner they like. We have not done anything in this connection. Madam Minister, you must consider this aspect. We are

[Shri Bir Bhadra Pratap Singh]

these days taking women's problems so seriously that we have passed many legislations and with regard to children, we are coming up for the first time with such a Bill. Therefore, I feel that proper provisions should have been made for funds. I am feeling as a lawyer somehow that the various homes that you have provided for in the Bill, where the children would be kept under certain circumstances, might create some problems. There may be some practical difficulties. In the case of immoral traffic among women, there was an Act and it has been amended recently and protective homes were provided for and we all know very well what these homes are. I am not sure whether the various categories which you are creating would be able to solve the problem. We have been saying that the police should be kept away. But I find them very much here and the presence of police is here very much, the actual instrument for taking them to the magistrates and the courts, and everything is done by the police. There is no change in this at all. Therefore, kindly consider this seriously. Kindly consider as to how to take these children to these different homes, how to present them and how to get in touch with the administration for getting justice to these children. I say this because the system that we are providing here for administration of justice is also very comprehensive which I am appreciating from many points of view. But the difficulty is again that we are not going to exclude the police from the purview of the Bill; rather my apprehension is that it will again be a matter between the police and these magistrates whose way of working I know and which I see everyday. In nine cases out of ten, it is only the poor people who are arrested because the policemen have to complete certain quota and so, they will arrest only the poor people and produce them before the magistrate. They will say, "Muje Maaaf karo." But they will get convicted. Please avoid this here. Otherwise, on a general analysis, I find that the Bill has made

good provisions for proper investigation, or proper prosecution, for proper adjudication, for proper disposal, for proper care and protection, for proper treatment and for proper rehabilitation. Now, there are two questions. As regards proper treatment, who will give proper treatment? Mr. Vaghela has pointed out that men or women with fatherly or motherly attitude respectively can alone provide proper treatment. I agree because I have seen the working of some of these homes in Allahabad and in my own home district. There are people posted to look after these people in such homes. But they are sitting in their own homes doing their own agricultural work or some other work and they do not come to these homes. They come only once a week and they never look after these children properly. So, who will properly look after them, who will take care of these children, who will give them proper treatment and who will give them proper psychological treatment which is needed more than ordinary physical development? Of course, there is a provision in this Bill. We make provisions for their vocational training. We make other such provisions. It is welcome. But who will give them professional training? Those who come only once a week to get their pay and then go away? Who will maintain them? It is the role of social organisations. Voluntary organisation is very paramount. Otherwise it will not be possible.

Now, the question of rehabilitation is also one of the important questions because the children's parents are not there. I have found many such homes maintained even today. But the conditions are not very happy. With such legislation I think proper emphasis should be put to look after these homes—how these children behave, how they are treated, how they should be catered, how they should be cared, and then only the objective of this Bill can be achieved, otherwise we have to have a constitutional amendment as I said in the beginning. There

are 17 million children employed likewise. The number may increase and children will go rotting, and the purpose for which this Bill has been brought cannot be achieved. Therefore, these practical measures should be considered seriously.

With these words, I thank you.

**SHRI V. RAMANATHAN** (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I am glad to have this opportunity to speak a few words on this subject.

The Government, after a long time, has brought forward a Bill providing for the care of the neglected children, neglected juveniles, those neglected by the society. All these juvenile offences are due only to the social defect. This defect is occurring all over the world. This is a phenomenon due to the change. This is due to changing ways. It is increasing day by day. Even in developed countries like America, offences are not getting reduced; these are going higher and higher. Even very recently a survey was made from the States and it was found that school-going children below 14-15 years of age were committing many offences like sexual offences and thereby getting pregnant—neglected girls. They have become a social evil and it is a burden on the States. Social evils are increasing all over the world like that due to the commissions and omissions of social responsibility. This is due to the fact that we are not taking proper care in forming the society or shaping the society. So these sorts of crimes are going up. If these sorts of offences are allowed to go up, the children, instead of becoming the masters or rulers of the country, will become rioters; they will become murderers; so many shapes this may take. Therefore it is opportune time. Though very late, they have taken some action at this stage to take care of these juveniles.

The causes are many. There are many laws regarding children. The Statute Book is getting increased every

year. But what is the effect of all that? An hon. Member of this House suggested that there must be an agency to look after how it is being effected. This is not being done. But the implementation is not properly done. For what purpose are the laws enacted? The evil is not curbed. It is growing day by day. The juvenile offences are due to psychological imbalances among the children. The relationship between parents and children is not proper. Either there is excessive control or there is no control over the children by the parents. Poverty in society is another cause. The parents are not able to look after their children due to poverty. They are not able to give them proper education. Even in schools, there is no moral education given to the children. The media is also giving a helping hand. The cinema and the media are encouraging these juvenile offences. The immature mind is being driven to enjoy life through shot routes. They think that the enjoyment of life is to get money by any means and to get some pleasure out of that money. That is how it is going on. This sort of thing is being encouraged by cinema. This should be curbed. I don't find any provision in the Act to curb all these things. The children are given complete freedom to do what they like. We are spending crores and crores of rupees on cinemas. They are taught how to commit robbery, theft and so many other offences. They spend one crore or two crores of rupees on a film. It goes throughout the country. We feel proud when it goes abroad. But what does it propagate? Does it propagate the philosophy of Lord Buddha or our great leaders? They are propagating how robbery and molestation can be committed. This must be curbed in time. This thing cannot be controlled without putting a curb on the media. We must ensure that every child goes to school. We must give the parents proper facilities to educate their children. I am very proud to tell the House that Tamil Nadu is sending all its children to schools. I suggest that it must be adopted throughout the country. There is no harm in it. It will not be a waste. It will be helping our future generations. We are wasting thousands

[Shri V. Ramanathan]

and thousands of crores of rupees in so many of our public sector undertakings and we are incurring losses amounting to hundreds of crores of rupees. But we are not taking care of our children. If we spend on the food and education of our children, it is no loss to the State. It is wealth of the State. If that wealth is properly shaped it will help our future generations. They will become good rulers of the country. They will rule the country in a proper manner. I do not find any provision for controlling the media. They must take care of this aspect. I want to stress once again that the children must be adopted as State property. We must educate them and feed them as the Tamil Nadu Government is doing. The moral education is very important for the children. We have to check child labour. At the present time, out of poverty, even children of 6 years or 8 years or 10 years are going in for some household duties or some other type of labour. And on many occasions, they lost their lives also in critical conditions. These are the things that can be curbed by adopting this sort of policies. Sir, certain offences are being committed by these children. The juveniles are forced, they are indirectly induced or they are made to do certain things for their living and other things. Therefore, once they commit the offence, we need not treat them as offenders. We need not punish them as we punish the other criminals. We must teach them, we must educate them, we must warn them and we must give them psychological treatment and we must provide employment opportunities to them. In this connection, voluntary organisations must come forward. And the voluntary organisations must be financed to take over these activities. And they can give proper training and proper education. And by giving psychological treatment, these children can be put on the right track, and they can become good citizens of the society, and they can become very good masters of the country also.

Sir, in this Bill, they have made a lot of provisions to promote the welfare of

the children. As my learned friend has suggested earlier, there must be an agency through which all these things can be implemented and all these things can be taken care of.

Sir, with these words, I thank you for the opportunity given to speak on this Bill.

**श्री कैलाशपीत (उत्तर प्रदेश):** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करती हूँ। भारतवर्ष में ऐसे परिवार भी हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उन परिवारों के बच्चों के शिक्षण की, भोजन की सही व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसे परिवारों के बच्चे गलत कार्यों की ओर या तो स्वयं ही आकर्षित होते हैं या प्रेरित करते हैं। उन परिवारों के बच्चों के प्रेरित करते हैं। उन परिवारों के बच्चों के शिक्षण, भोजन और काम के साधन की व्यवस्था सरकार उपलब्ध कर सके, इसके साथ ही यह भी देखने में आया है कि परिवारों की मजबूरियों के कारण बेटियाँ बाजारों में बेची जाती हैं जिससे कि वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यदि हम इन बुराइयों को रोकना है तो ऐसे परिवारों के बच्चों की शिक्षा, भोजन और काम के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी ले। अगर सरकार जिम्मेदारी ले लेगी तो ये बात खत्म हो सकती है। देश में ऐसे गैंग भी हैं जो बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं। इनकी आंख फोड़कर या हाथ पैर तोड़ देते हैं। उनसे भीख मंगवाते हैं। स्टेशन पर और खदानों में नोमैडिक कम्युनिटी के बच्चे ही अधिक संख्या में बाल अपराधी के रूप में पाये जाते हैं। मेरा सुझाव है कि जो ऐसे कम्युनिटीज हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, उनके लिए अगर सरकार की तरफ से पुनर्वास का बन्दोबस्त कर दिया जाय तो उनके बालबच्चों के रहने के लिए ठिकाना हो जाएगा और बाद में उनकी शिक्षा का प्रबन्ध भी हो सकता है। अभी हमारे देश में अनाथ आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पर रह कर जो बच्चे बड़े होते हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने कोई बन्दोबस्त नहीं किया है। लड़के तो इधर उधर खोज-कर अथवा बन्दोबस्त खुद कर लेते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए बड़ी मुश्किल सामने आती

है। अनाथ आश्रम में जो लड़कियाँ रहती हैं उनकी शादी कराना और उनकी देखरेख करना उस संस्था के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपाहिज लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल खुलवाया जाय और ये साधन जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराए जायें जिरासे जो महिला और पुरुष अपाहिज हैं उनको काम मिल सके। सरकार के बहुत से ऐसे आर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर इनको काम दिया जा सकता है।

इस विधेयक की माध्यम से आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डलाने जा रही हैं वे उसे वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए इस सम्पूर्ण योजना को लागू करने का भार केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। अन्यथा इसका कोई उपयोग न होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः विधेयक का समर्थन करती हूँ।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) :** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह विधेयक जो कि 18 वर्ष तक की बालिकाएँ हैं या 16 वर्ष तक के बालक हैं उनको न्याय दिलाने के उद्देश्य और कारणों में बतलाया गया है कि उद्देश्य और कारणों में बतलाया गया है कि जो उपेक्षित या आपराधिक बालक या बालिकाएँ हैं उनकी देखरेख, उनका संरक्षण या उनकी जिंदगी के विकास के लिये यह विधेयक लाया गया है। मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे देश में बच्चों से संबंधित जितने भी कानून हैं उनमें कोई एकरूपता नहीं है और इसलिये बच्चों संबंधी कानूनों में एकरूपता लाने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसमें जहाँ बहुत से प्रावधान हैं, एक प्रावधान यह भी रखा गया है कि

जो बच्चे हैं उनको अन्य अपराधियों के साथ जेल में, हवालात में न रखा जाय। इस संबंध में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक मुकदमे में निर्णय दिया था। इसके अतिरिक्त जस्टिस मुल्ला की अध्यक्षता में एक जेल सुधार कमिटी बनी थी। उस कमिटी की रिपोर्ट 31 मार्च, 1983 को शासन के पास, सरकार के पास प्रस्तुत कर दी गई है। उस रिपोर्ट में बहुत सी संस्तुतियाँ हैं लेकिन उन सभी संस्तुतियों को विधेयक के द्वारा लागू नहीं किया गया है। एक संस्तुति इसमें यह भी थी कि बालकों को जेल में या हवालात में अन्य कैदियों के साथ न रखा जाय। एक दूसरी संस्तुति मुल्ला कमिटी की यह थी और जिस की ओर मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित कराया था कि बच्चों संबंधी हमारे पूरे देश में एक प्रकार के कानून नहीं हैं, उनमें एकरूपता नहीं है। इसलिये एक व्यापक दृष्टि को ध्यान में रखकर एक विधेयक लाया जाय। इसलिये इस कानून को लाने की जो मंशा है, इस विधेयक में जो प्रावधान किये गये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मेरी नजर में इसमें कुछ खामियाँ भी हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान बाद में आकर्षित करना चाहूँगा।

महोदय, प्रश्न यह है कि आखिर क्यों सरकार को इस प्रकार का विधेयक लाना पड़ा? छोटे-छोटे बच्चे क्यों अपराध करने पर मजबूर होते हैं या जो बड़े लोग हैं वे बच्चों से क्यों अपराध करवाते हैं? इस सदन में चर्चा की गई कि बच्चों का दुरुपयोग किया जाता है। भिक्षा मांगने के काम में बच्चों का दुरुपयोग किया जाता है, उनके शरीर के किसी अंग को बिगाड़कर, खराब करके दवा का पात्र बनाकर भिक्षा के लिये इस्तेमाल किया जाता है। उनका इस्तेमाल सेक्सुअल आफेंस के लिये भी किया जाता है। महोदय, मेरी अपनी समझ में, जो हमारे देश में गरीबी है, जो आर्थिक असमानता है, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वही इसका मुख्य कारण है। यही कारण है कि आज हमारे देश में इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं और बच्चों का दुरुपयोग किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

विधेयक में इस बात की चर्चा की है। मैं आपका ध्यान धारा दो की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें नेग्लेक्टेड जुवेनाइल की परिभाषा इस प्रकार की गई है :

"neglected juvenile" means a juvenile who is found without having any home or settled place of abode and without any ostensible means of subsistence and is destitute.

महोदय इसके हिन्दी अनुवाद में कहा गया है...

**उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) :** दोनों में कोई फरक है क्या ?

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** "उपेक्षित किशोर से ऐसा किशोर अभिप्रेत है--(i) जो भीख मांगते पाया जाता है, या (ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान या जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं है या जो निराश्रित पाया जाता है।"

महोदय, मैंने इसको इसलिये पढ़ा कि अर्धजा हमको तो समझ में नहीं आती है लेकिन इसकी हिन्दी भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि ऐसे बच्चे जिनका कोई घर न हो तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस देश में कितने प्रतिशत आबादी के पास निश्चित रूप से मकान या घर है ? हमारे देश की आबादी 75 करोड़ है, इस आबादी में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास इस देश में अपने घर या मकान हैं। दूसरा, कहा गया है कि निश्चित निवास स्थान या जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं हैं। आस्ट्रेलिया लोसेंज आफ लिक्लीहुड जिसके सिलसिले में सी.आर.पी.सी. की धारा 109 के अधीन पहले लोगों को गिरफ्तार किया जाता था लेकिन अब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सी.आर.पी.सी. की यह धारा 109 समाप्त कर दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में जहाँ पर आधी से ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है कितने ऐसे लोग हैं

जिनके पास जीविका के साधन हैं या जो निराश्रित नहीं हैं। इस में मैंने पहले ही ध्यान आकर्षित किया कि आपकी इस परिभाषा में अन्दर इस देश के जितने बच्चे हैं उनकी आधी से ज्यादा आबादी इस धारा के अन्तर्गत आएगी और इसलिए सही मायने में किन कारणों के आधार पर इस धारा का प्रावधान आपको करना पड़ा मैं इस बात की भी जानकारी चाहता हूँ। हमारे देश में जैसे मैंने शुरू में कहा असमानता, अशिक्षा है। जो शिक्षा नीति का प्रारूप गतवर्ष प्रस्तुत किया गया था उस में भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि अगर यही हालत चलती रहेगी तो आज से 15 वर्ष के बाद यानी 2000 में सारी दुनिया में जितने अशिक्षित बच्चे पढ़े लिखे लोग होंगे ऐसे लोगों की कुल आबादी का 54.8 प्रतिशत भारतवर्ष में होगा। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस संबंध में विशेष ध्यान देना चाहिये तभी हमारे जो उपेक्षित बालक हैं उनकी रक्षा हो पायेगी उनकी शिक्षा में सुधार हो पाएगा। जिन कारणों से बालक अपराधी बनते हैं इन कारणों को हम समाप्त करें। इसलिए मैं इस विषय में आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 39 के सब क्लॉज (एफ) की ओर जो बच्चों के सम्बन्ध में है आकर्षित करना चाहता हूँ।

"39. The State shall, in particular, direct its policy towards securing:

(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले 40 वर्षों में संविधान की जो मंशा थी क्या उसका एक प्रतिशत भी इन बच्चों के लिए हम हासिल कर पाए या उन के सम्बन्ध में कुछ कर पाए हैं। केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक हमारे समाज की जो व्यवस्था है सामाजिक स्तर है इस में सुधार नहीं होता है। इस देश में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले दो

सालों में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कमी लाने के लिए कम से कम चार विधेयक भी संसद ने पारित किये हैं लेकिन हर आदमी को स्वीकार करना पड़ता है मजबूर हो कर के इतने कानून पारित होने के बाद भी इस देश से आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। शिक्षा में जो असमानता है वह खत्म हो। इस देश में अनेक प्रकार के विद्यालय हैं प्राथमिक पाठशालाएँ अमीर आदमी के लिए दूसरी किस्म की हैं और गरीब आदमी के लिए दूसरे किस्म की पाठशालाएँ हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो सड़क पर ही पौधा होते हैं, सड़क पर ही बड़े होते हैं और सड़क पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इसलिए मैं इस विधेयक में मेरी समझ में जो खामियां हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने शुरु में ध्यान आकर्षित किया था कि नेग्लेक्टेड एंड डेलिक्वेंट जुवेनाइल्ज आपने कहा है और हिन्दी में आपने अपचारी शब्द का इस्तेमाल किया है। अपचारी किशोर को आपने खुद परिभाषित किया है ऐसे बच्चे जिनको अपराधी ठहराया गया है। उसने अपराध किया है। अपचारी मेरी समझ में नहीं आता है पता नहीं दूसरों की समझ में कैसे आएगा। आपने खुद ही अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया है। मेरा संज्ञाव है कि जहाँ जहाँ आपने अपचारी शब्द का इस्तेमाल किया है उसको बदल कर अपचारी की जगह अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा जैसे आपने शुरु में कहा था कि एकरूपता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। आपने इस बात का प्रावधान किया है कि जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड या बोर्ड बनेगा उसमें जो उनके सदस्यों की संख्या रहूँगी या अध्यक्ष रहेंगे उनकी संख्या को निर्दिष्ट करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। इसके साथ यह है कि किसी राज्य में उनकी संख्या इस हो सकती है। किसी राज्य में बोर्ड के सदस्यों की संख्या इस से तीन हो सकती है और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस संबंध में भी कि एकरूपता लाने के लिए इसकी संख्या को

निर्धारित करिए, कोई भी संख्या आप रखिये।

इस बात का प्रावधान कर दीजिए कि हमारा यह जो किशोर वेलफेयर बोर्ड है, इसके सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित अधिक से अधिक पंद्रह होगी, अधिक से अधिक सात होगी, लेकिन किसी संख्या को आप अवश्य ही निर्धारित करें।

तीसरे, इसमें इसकी धारा जो 52 है, उसमें फण्ड के लिए चर्चा की गई है। यह जो अधिनियम है, केन्द्रीय अधिनियम है, केन्द्रीय कानून है, लेकिन इसका अनुपालन करना और काम राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है और यह सर्वविदित है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनकी जो वित्तीय हालत है, वह बहुत खराब है और बहुत से काम इस विधेयक के रुक जायेंगे, अगर राज्य सरकारों के लिए आर्थिक सहायता, विशेष रूप से केन्द्र से नहीं दी जाएगी और सारे विधेयक में इस बात की कहीं पर चर्चा नहीं की गई है कि आखिर केन्द्रीय सरकार की ओर से भी राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता दी जाएगी, या नहीं दी जाएगी।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में भी बताने की कृपा करें कि आखिर जो राज्य है, जिनकी वित्तीय हालत ठीक नहीं है, जिनका बजट घाटे का रहता है, उन राज्यों में किस तरीके से इस कानून का, अधिनियम का अनुपालन होगा और किस प्रकार से उनका अनुपालन किया जाएगा? मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की ओर से विशेष पैसों की, विशेष फण्ड की व्यवस्था की जाए। हमारे गिब वीर भद्र प्रताप सिंह जी भी इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे और शायद उनकी चर्चा इस अधिनियम की धारा 28 में की गई है। आपने सारे व्योमों का तो प्रावधान कर दिया है इसमें कि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट रहेंगे, सब-डिविजनल मॅजिस्ट्रेट रहेंगे, पुलिस के भी अधिकारी रहेंगे, प्रोबेशन ऑफिसर भी रहेंगे, लेकिन



[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

पता नहीं कि क्यों बोर्ड के आगे जिन लोगों को जाना पड़ेगा, वह लोग वकील नहीं कर सकेंगे और अपने धारा 28 की उप-धारा (3) में लिखा है कि—

"No legal practitioner shall be entitled to appear before a Board in any case or proceeding before it, except with the special permission of that Board."

तो इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति का जो एक मौलिक अधिकार है कि अपनी राय से, अपनी इच्छा से, अपने मन का वकील कर सकें, इस बात का जो अधिकार हर व्यक्ति को हमारे संविधान ने दिया है, उस अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और इसके माने यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति वकील करना चाहता है, चाहे किसी किशोर का संरक्षक या किशोर स्वयं, तो उसके वकील को पहले उस बोर्ड की इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रावधान करके भारत की नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, इसका हनन किया जा रहा है। इसलिए इस प्रावधान को आप हटाने की कृपा करिए क्योंकि वकील को करने से आप जानते हैं कि बहुत से निर्दोष लोगों को भी पुलिस वाले फंसा लिया करते हैं। इस कानून में यह भी होगा कि जो बच्चा बीस साल का होगा, सोलह साल से ज्यादा की उम्र होगी जिस लड़के की और अठारह साल से अधिक उम्र जिस लड़की की होगी, उसकी उम्र को भी घटा कर पुलिस वाले चौदह-सोलह साल लिख देंगे और झूठे मामलों में फंसाने की साजिश करेंगे। (समर्थ की घंटों)

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारी इस राय को आप स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आपके मंत्रित्व काल में जिस मंशा से विधेयक लाया गया है, सही माने में इस विधेयक का अनुपालन किया जाएगा।

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमन्, इस विधेयक का मैं स्वागत करना चाहती हूँ जो किशोर को न्याय दिलाए। श्रीमन्, हमारे देश में भिन्न-भिन्न तरह के अपराधी हैं जो किशोरों को अपचारी बनाते हैं। ऐसे अपराधी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, पुल आदि, इनके नीचे होते हैं और सरकार इनको पकड़ना चाहें, तो पकड़ सकती है।

[उपसभाध्यक्ष (डा. बापू कालवाते) पीठासीन हुए]

ऐसे अपराधी क्या करते हैं? श्रीमन्, बहुत से तो बच्चों के ऊपर तंजाब पटक देते हैं और उनकी चमड़ी को गला देते हैं, जिनको काढ़ी कहते हैं। वह काढ़ी नहीं होते हैं, लेकिन उनको ऐसा बनाया जाता है। बहुत से इनकी उंगली काट देते हैं, बहुत से इनके पैर काट देते हैं, जिससे बहुत से लोगों को रहम आता है और उनके लिए पैसे फेंकते रहते हैं। यह सब अपराधियों का काम है।

श्रीमन्, हमारे देश में ऐसा दुर्भाग्य है कि यह किशोर और अनाथ बच्चे हैं जिन बेचारों को इस तरह की परेशानी आती है।

बहुत से तो मां-बाप होते हुए भी, श्रीमन्, दुर्भाग्य बग जाते हैं।

4 P.M. क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिलती है और वे इधर-उधर भागते हैं। तब उनसे गलत काम करवाया जाता है। अगर आज हमारे देश में पूरी शिक्षा हो तो हो सकता है कि ये ऐसे बच्चे पढ़-लिख कर रोजगार या किसी धंधे में लगें और अपने मां-बाप का पेट भर सकें। शिक्षा के अभाव में ही वे ऐसे बनते हैं और बेरोजगार होते हैं। पढ़ाई के साधन तो गवर्नमेंट ने बहुत कर रखे हैं, हमारे राजीव गांधी जी नए-नए विधेयक लाये हैं और बड़े अच्छे-अच्छे साधन किए हैं। मगर कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए जो कि ऐसे बच्चों के मां-बाप के ऊपर लागू हो जो कि उन्हें नहीं पढ़ाते हैं और उनसे छोटी उम्र में काम करवाते हैं। अगर उनके मां-बाप ऐसा करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। तब तो हो सकता है कि हमारे देश की उन्नति हो सके। नहीं तो गरीबी की रेखा की नीचे चलता आया है और चलता ही रहेगा। अभी तक तो बच्चों की भी काफी तादाद में संख्या

बढ़ी है। अभी मैं रूस गईं तो वहां पर भी मैंने कुछ कानून देखे। जैसे चीन में देखा कि एक बच्चे से ज्यादा पीढ़ा करोगे तो अनाज नहीं दोगे और खाने को नहीं मिलेगा, उनको रहने को नहीं मिलेगा। अगर यहां पर भी कोई ऐसा कानून बने जो कि एक-दो बच्चों तक ही परिवार को सीमित रखने के लिए हो तब तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी की लाइफ अच्छी बन जाए। अभी तक तो श्रीमन् गांधी में बच्चों की पढ़ाई की यह हालत है कि एक मास्टर वहां पर दे देते हैं, जैसे कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वह मास्टर बच्चों को पढ़ाता नहीं है, एक-दो घंटे पढ़ाते हैं और तनखाह ले जाते हैं। इस प्रकार की स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति है। बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाए, वहां पर चैक करने के लिए उनके ऊपर कोई सपरवाइजर या कोई ऐसी महिला को रख दिया जाए जो कि वहां की कार्यकर्ता हो या वहां की विधायिका हो। ऐसा तो हो सकता है कि डर की वजह से बच्चों को शिक्षा भी अच्छी मिले। यही नहीं शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब के लोगों के बच्चे तो गरीब होते ही हैं और अनपढ़ भी होते हैं, लेकिन इन्हें तो सभी कास्ट्स के बच्चे ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं आज के जमाने में भी अनपढ़ हैं। अगर 50 परसेंट नहीं तो 40 परसेंट अब भी ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे। वहां पर लड़कियों को तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। उनको तो यह कहा जाता है कि ये अपने घर जायेंगी। ससुराल में वह जब जाती है तो ऐसा होता है कि लड़का तो पढ़ा-लिखा होता है और लड़की बेचारी अनपढ़ होती है। पहले तो पैसे के लालच में उससे शादी कर लेते हैं और बाद में उस लड़की को छोड़ देते हैं। इस प्रकार लड़की बेचारी का तो दुर्भाग्य ही रहा और उसका तो जीवन खराब हुआ ही साथ ही साथ मां-बाप का भी हो गया। इसलिए श्रीमन् मेरा माननीय मंत्री जी से यही कहना है कि वह स्कूलों की तरफ ज्यादा ध्यान दें ताकि आने वाली पीढ़ी का बच्चा पढ़ा-लिखा हो। वे चाहें लड़कें हों या लड़कियां हों वे सब पढ़े-लिखे होंगे तो हो सकता है कि हमारा देश आगे चल कर अन्य देशों की बराबरी कर सके। जैसे अभी एक भाई कह

रहे थे कि केरल में तो पढ़े-लिखे होते हैं। केरल ही मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वे चाहे खेती में काम करें, चाहे घर में लेकिन वे पढ़ते हैं। हमारे राजस्थान और यू.पी. में मैंने देखा है और हरियाणा के इलाके में भी कि लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाते भी हैं तो बहुत कम पढ़ाते हैं। जो पढ़ी-लिखी फेमिली होती है वही अपने बच्चों को पढ़ाती है और जो पढ़ी-लिखी नहीं होती है वह नहीं पढ़ाती है। इसलिए मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो मां-बाप बच्चों को पढ़ाएं नहीं उन्हें सजा दी जाए ताकि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनकी लाइफ बनाएं। इससे हमारे बच्चों का जीवन तो सुधरेगा ही लेकिन हमारे देश का भी भाग्य उज्ज्वल होगा। मान्यवर मैं एक बात और कहूंगी कि जो गरीब बच्चे होते हैं और जिनके 5-6 बच्चे होते हैं अब जैसे हमारे धौलपुर में देखे लीजिए वहां पर बहुत से लड़के-लड़कियों को बेचा जाता है, गरीब बच्चों को खाने को नहीं मिलता है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको बाहर के देशों में भी बेच देते हैं और इंडिया में भी बेच देते हैं, धौलपुर के इलाके में ऐसे बच्चे भी हैं, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए, ऐसा मैं आपको सुझाव देती हूँ। ऐसा एक बच्चा मेरे पास आया आर. के. पुरम या कहीं पर जो कि सब्जी बेचता था। ऐसे अत्याचारी भी हैं यहां पर, जो ऐसे भी, जो सब्जी बेचता था पटरी पर और पटरी पर ही सो जाता था, जिसके साथ दो बच्चे और भी आ गए थे। एक लड़का था, जो थोड़ा जवान था। उसने एक बच्चे को पकड़ा और आरोप लगाया कि मेरे नाड़े में जो 1500/- रुपये रखे थे, वह तुमने अण्डर-वियर से निकाल लिए हैं। पछा-कैसे निकाले? बोला-तूने निकाले हैं और अब चलें सोनी के पास। किस तरह के सोनी होती हैं? यह ऐसे होते हैं जो कि नाजायज फायदा उठाते हैं लोगों से। वे गये उसके पास। उस लड़के का हाथ पकड़ा और दूसरा कहने लगा कि यह तो झूठ बोल रहा है, यह तो झूठ बोल रहा है और उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसको जेल में बंद कर दिया। ऐसे लोग भी हैं यहां पर और ऐसे लोगों के लिए कोई सजा होनी चाहिए ताकि

## [श्रीमती शान्ति पहाड़िया]

वें बच्चों पर इस तरह के अत्याचार न करें और उन बेचारों को नाजायज तकलीफ न दें।

इसके साथ मैं यह भी कहूंगी कि हमारे यहां छोटे बच्चों का एक और भी चलन रहा है, जैसा अभी एक भाई बोल रहे थे कि साधू-महात्मा आते हैं और कहते हैं—मां, तुम्हारा बेटा तो यह हो जायगा, तुम्हारा बेटा तो वह हो जायगा और बच्चों की मां को पता नहीं रूमाल झाड़ते हैं और वह बेहोश जैसी हो जाती है और उसी के सामने उसके बच्चे को उठाकर उनको जो झोली बनी हुई होती है, उसमें ले जाते हैं। आगे क्या करते हैं, क्या नहीं करते? तो उनको भी पकड़ा जाय। अगर कोई साधू है या उस तरह का कोई महात्मा है, तो उसको सर्टिफिकेट दें तो अच्छा रहगा। मैं यही कह कर अपनी बात समाप्त करती हूँ।

**श्री सूरज प्रसाद (बिहार) :** महोदय, यह कानून किशोर या तरुणों के सम्बन्ध में जो है, यह पहले से ही देश के अन्दर है और जहाँ तक मुझे सूचना है—1890 में बम्बई में इस तरह का कानून पारित हुआ था। जो बड़े-बड़े शहर हैं—कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, इन जगहों में भी इस तरह के कानून पारित हुए थे। भारत सरकार ने भी सन् 1960 में इस तरह का एक कानून पारित किया था। अगर यह समस्या महज कानूनी होती और कानूनी औषधि से इस समस्या का समाधान होने वाला होता तो देश में इस समस्या में काफी कमी आ जानी चाहिए थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत देश के अन्दर किशोर अपराधियों के बारे में बातें देखने को मिलती हैं। लगता यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर और देश के अन्दर किशोर अपराधियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।

महोदय, कुछ लोगों ने इस समस्या के कारणों के बारे में कुछ बातें बतायीं। मेरी समझ यह है कि समस्या मुख्यतः शहरी

समस्या है। गांवों में भी यह समस्या है, मगर मुख्यतः नहीं है। अगर यह देखा जाय तो सबसे अधिक तो विकसित पूँजीवादी मुल्क है, उन देशों में यह समस्या सबसे गहन और सबसे भयंकर है। यह समस्या अमरीका में, इंग्लैंड में और जापान में और इस तरह से दूसरे जो पूँजीवादी और विकसित औद्योगिक मुल्क हैं, उन मुल्कों में सबसे अधिक जटिल और कठिन है।

**श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) :** जापान में भी है ?

**श्री सूरज प्रसाद :** जी हां, है। भारत भी औद्योगिक रूप में विकसित हो रहा है। पूँजीवादी रास्ते से और जाहिर है इस देश के अन्दर भी यह समस्या बढ़ती जा रही है तो कोई ताज्जुब और हैरानी की बात नहीं है। इसलिये मेरी समझ यह है कि यह समस्या शहर की है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ। एक अध्ययन यह है कि गंदी बस्तियों में जो लोग रहने वाले हैं उन्हीं के बीच से 80-90 प्रतिशत यह किशोर अपराधी पैदा होते हैं। क्यों? इसलिये कि शहर की गंदी बस्तियों में जो बच्चे होते हैं उन को आवास की अच्छी सुविधा प्राप्त नहीं होती। इसलिये कि उनके पैरेंट्स गरीब होते हैं और वे बच्चों की अच्छी तरह से देख भाल नहीं कर पाते और चाँकि वे गरीब होते हैं इसलिये बच्चों को जिस तरह का प्यार मिलना चाहिए वह प्यार उनको नहीं मिल पाता है। और इसलिये अधिकतर गंदी बस्तियों में यह अपराधी किशोर पैदा हो जाते हैं। प्रचार का साधन भी हो सकते हैं लेकिन मूल कारण प्रचार नहीं है। मूल कारण है देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था और इसी रूप में इस समस्या को देखा जाना चाहिए। कुछ अध्ययन यह हुआ था कि पुलिस की भूमिका जेविनाइल डिलीक्वेंट्स के बारे में कम की जानी चाहिए और लोगों ने कहा कि जो कानून हिन्दुस्तान में पारित होना चाहिए उस में पुलिस की भूमिका कम से कम रहनी चाहिए। अभी जो बिल हमारे सामने है उसमें धारा 13 और 14 में पुलिस की भूमिका की चर्चा है और उसमें यह है कि

कोई भी नंगलेक्टोड, उपेक्षित किशोर को वह पकड़ कर भेज दे सकती है बोर्ड के सामने। पुलिस के जुल्म और अत्याचार की कहानियाँ राज हम को सुनने को मिलाती हैं। जाहिर है कि पुलिस इसका दुरुपयोग कर सकती है और इसलिये मैं चाहूँगा कि धारा 13 और 14 में कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाय ताकि पुलिस का जो रोल है वह गिनिमाइज हो सके। मैंने एक्ट का ठीक से अध्ययन नहीं किया है लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखने को मिला और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह व्यवस्था थी कि अगर कुछ दिनों से जो किशोर अपराधी है वे जेलों में बंद हैं और अगर उनको विशेष गृहों में नहीं रखा जा सकता है तो सरकार को चाहिए कि उन को जमानत पर रिहा कर दे। नहीं जानता कि इस तरह की व्यवस्था इस में है या नहीं। अगर कानून में इस तरह की व्यवस्था है तो वह सराहनीय बात है। मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर नहीं है तो इस बात पर साँचा जाना चाहिए। इस कानून के अंदर मैं इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों को दी गयी है। राज्य सरकारों के सामने साधन की समस्या बहुत ही कठिन है, गंभीर है। उनकी सामने बहुत सी समस्याएँ हैं। इस से भी भीषण प्रावलम्ब उनके सामने हो सकते हैं। बहुत से राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो पहले राज्य पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे या डेलीक्वेंट अपराधी तो हैं, जो किशोर अपराधी हैं उनके बारे में सोचेंगे। तो जाहिर है कि इस कानून की उपेक्षा राज्य सरकारों के द्वारा हो जायगी। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि अगर सरकार रचमूच में चाहती है कि जो किशोर अपराधी हैं वह ठीक हों और इस बीमारी को नियंत्रित किया जाय तो केन्द्रीय सरकार को ही मुख्यतः इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर केन्द्रीय सरकार स्वयं इसको करने में असमर्थ है तो उसे राज्य सरकारों को विशेष फंड मूहैया करना चाहिए ताकि वे इसका समाधान निकाल सकें।

अंत में मुझे यह कहना है कि इस प्रश्न को कानूनी रूप में ही देखना भारी भूल होगी। यह कानून प्रधानतः सामाजिक और

आर्थिक है। इसलिए इस दृष्टि से इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। अगर यह कानून ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ तो सरकार के बहुत से ऐसे कानून हैं जो महज कास्मेटिक, अलंकार, श्रृंगार बनकर रह गए हैं। उसी तरह से यह कानून भी कास्मेटिक, अलंकार बनकर रह जाएगा, सौंभ बनकर रह जाएगा और कानून की पौधियों की शोभा बढ़ाएगा। लेकिन इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इस कानून को लागू करने के साथ-साथ इस बीमारी को मूलतः समाप्त करने की दिशा में भी कदम उठाए। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की बात कही गई है। उसमें यह बात भी कही गई है कि अनिवार्य शिक्षा हम देश के अंदर चालू करेंगे। अगर अनिवार्य शिक्षा देश में चालू हो जाए तो किशोर अपराधियों की संख्या में भारी कटौती की जा सकती है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए।

महोदय, इस देश के अंदर अपकारी शब्द के स्थान पर कदाचारी रखा जाए तो ज्यादा समझदारी वह देगा। अपकारी पापुलर शब्द नहीं है और बहुत लोगों की समझ में नहीं आएगा, वह जनप्रिय शब्द नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि अपकारी शब्द के स्थान पर कदाचारी लिखें तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**श्री कल्पनाथ राय :** आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जो किशोर न्याय विधेयक लाई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और जिन भावनाओं के साथ हमारी मंत्री श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेई जी इस किशोर न्याय विधेयक को लागू करना चाहती हैं, हूँ उसका स्वागत करते हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस दाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जाहिर है कि आजादी के बाद हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने देश की नौजवान, बच्चों के भविष्य निर्माण के संबंध में सुंदर कल्पना की थी जिसके आधार पर हम अतीत के इतिहास को सामने रखकर भविष्य की स्वर्णिम दिनों का निर्माण कर सकेंगे।

[श्री कल्पनाथ राय]

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने अपने भारत के संविधान में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी में कहा है—

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

उसमें यह भी कहा गया है—

The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो हम विधेयक लाये हैं इस विधेयक से भी बड़ी बात हमारे भारत का संविधान है। हमने नीति निर्देशक सिद्धान्त में इस बात को रखा है :

"We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social economic and political, LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;"

हमने समाजवाद का स्थापना का संकल्प लिया है। पूरे देश के कायदे-कानून जो भी हैं इन सबसे बड़ा कानून देश का संविधान है। इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। यह जो विधेयक है इसके सामने कुछ नहीं है। जिसके माध्यम से पूरे देश का संचालन होता है वह है भारत का संविधान। हमने हिन्दुस्तान को एक समाजवाद, गणराज्य बनाने का संकल्प लिया है। हिन्दुस्तान का हर संसद सदस्य, हर प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री या मंत्री कैबिनेट का जो है वह भारत के संविधान के प्रति कसम खाता है कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, इसको प्रिजर्व करूंगा। इसके लिए ही मैं संकल्पबद्ध हूँ। हमारे देश की सरकार ने, हमारे नेताओं ने हिन्दुस्तान को समाजवाद की दिशा में ले चलने का प्रयास किया है। आजादी की लड़ाई के दौरान कराची कांग्रेस का प्रस्ताव, हरिपुरा कांग्रेस का प्रस्ताव या 1947 से पहले का आल इंडिया कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव इस बात का सबूत है कि आजादी की लड़ाई के दौरान आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी थे इन्होंने भारत कैसा होगा इसका एक चित्र खींचा था और उसको मूर्त रूप दिया था अपने प्रस्ताव के माध्यम से। जवाहर लाल जी ने अपने प्रधान मंत्रित्व काल में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एवार्ड और भुवनेश्वर कांग्रेस के माध्यम से समाजवादी स्ट्रक्चर सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन उस निर्णय को धरती पर उतारने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवीपर्स की समाप्ति, 20 सूत्री कार्यक्रम, जो देश को समाजवाद की दिशा में ले चलने के ठोस और समयबद्ध कदम थे उस कार्य को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। उन्हीं कार्यों को असली रूप देने का काम हमें भविष्य में करना है। हमारे देश के नेता श्री राजीव गांधी जो ने प्रधान मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद he reaffirmed his faith in socialism समाजवाद की स्थापना और अपने देश के नेताओं की नीतियों को चालू रखने का संकल्प लिया था।

किसी भी देश के बालक उस देश की भविष्य की निधि होते हैं। हमारे देश के अन्दर करोड़ों बच्चे ऐसे हैं। मैं राजेन्द्र कुमारी जी को निवेदन करना चाहूंगा, वह सेनैट मंत्रालय देख रही हैं, मैं आज इस संसद में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन को बधाई देना चाहता हूँ अथवा देना चाहता हूँ कि उन्होंने आने यहाँ मिड-डे-मील का प्रोग्राम बना हुआ है? यानी बच्चों के लिए दोपहर के खाने की व्यवस्था कर रखी है? आज इसी मिड-डे-मील के परिणामस्वरूप बहुत से गरीब लोगों के बच्चे केवल इसलिए पढ़ने आते हैं कि उन्हें भोजन मिल जायेगा? उनको वहाँ जाना भी मिल जाता है और उनकी पढ़ाई भी हो जाती है। \* तो भारत सरकार से कहें कि वह पूरे देश में मिड-डे-मील को राष्ट्रीय पैमाने पर लागू करें। इस तरह से हम अनिवार्य शिक्षा का गारंटी एंजुशेन और फ्री एंजुशेन के लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं और बच्चों को जो भारत का भविष्य है, उनको व्य-ट्रिगिश्स फंड देकर स्वस्थ बना सकते हैं। यह कार्य हमारे देश की तरुणाई के प्रतीक राष्ट्र की तरुणाई के प्रतीक प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के दिशा-निर्देशन में होगा। हम अपना एक पाइन्ट का प्रोग्राम बना लें कि सब बच्चों को स्कूलों में पोष्टिक भोजन मिलेगा। 14 वर्षों के बच्चों को और उनके हम आयु वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम मिड-डे-मील का प्रोग्राम बना सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसको चालू किया है। यह काफी अच्छा प्रोग्राम है। इससे भी बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी। आज क्या कारण है कि आजादी के 40 वर्ष के बाद भी हम हिन्दुस्तान के सब लोगों को शिक्षित नहीं कर पाये हैं। सबसे बुनियादी सवाल हमारे सामने फेमिली प्लानिंग का है। परिवार नियोजन के कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने की आवश्यकता है। हमारे देश में करोड़ों बच्चे जो अनाथ हैं वे अपनी मजबूरियों से परेशान होकर असामाजिक तत्वों के षड्यन्त्र के शिकार हो जाते हैं। लोकतई और समाजवादी समाज की रचना तभी की जा सकती है जब सब को समान शिक्षा और शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त

हों। इस देश में आजादी के दौरान भी कई प्रकार की शिक्षा थी। सात लाख गांवों के लिए अलग शिक्षा थी और शहरों में रहने वालों के अलग शिक्षा थी। आज भी लगभग वही स्थिति है। म्युनिसिपल कमेटी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये अलग शिक्षा है और दूसरे धनी लोगों के बच्चों के लिये अलग शिक्षा है। इसी प्रकार से दिल्ली में जो बड़े-बड़े नौकरशाह हैं उनके बच्चों के लिये अलग शिक्षा है और मुट्ठी भर लोगों के लिये अलग शिक्षा है। जो करोड़ों बच्चे हमारे देश में अनाथ और बसहारा हैं, उनके अलावा भी करोड़ों बच्चे हमारे देश में अंधे हो रहे हैं। थोड़ी ही उम्र के बाद वे अंधे हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं। हमारे संसद सदस्य इसको गांवों में जाकर देख सकते हैं।

**उपमहाध्यक्ष डा० बापू कालदास :** अब आप सैमेट लॉजिए।

श्री कल्पनाय राय : श्रीमन्, बुनियादी बात यह है कि टेलीविजन और रेडियो का जो आपका नेट वर्क है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल का मिडिया है उसके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन का प्रचार किया जाना चाहिये। माक्स ने कहा है कि आइडिया इज ए मेटरियल फोर्स। अगर आप परिवार नियोजन को राष्ट्रीय आंदोलन की तरह से अपनायेंगे तो कितने बच्चे हमारे देश में कम पैदा होंगे उतने ही कम साधनों से सरकार लाभ उठा सकती है। यानी जनसंख्या कम होगी तो हमें अपने विकास के लिये कम साधनों की जरूरत होगी और कम साधनों से भी हम उन्नति कर सकते हैं। हमारे देश में आज स्थिति यह है कि एक तरफ तो बढ़ती हुई जनसंख्या का राक्षस है और दूसरी ओर विकास का शिशु बढ़ती हुई जनसंख्या ने दबाच लिया है। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के शिशु को निगलती जा रही है। बुनियादी बात यह है कि परिवार नियोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया जाना चाहिये। इसके लिये जन-जागृति और जन-शक्ति की आवश्यकता होती है। जन-आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिये।

[श्री कल्पनाथ राय]

जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र आजादी की लड़ाई लड़ रहा था जनता के दिलों में आजादी का कानून बन गया तो उस आजादी के कानून पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी मुहर लगानी पड़ी। इसलिये पहले जनता के दिलों में कानून बनना चाहिए। बाल विवाह के खिलाफ दहेज प्रथा के खिलाफ परिवार नियोजन के खिलाफ पहले जन-जागरण होना चाहिए, बिल पावर, जनशक्ति, लोकशक्ति को जागृत करके गांधी जी की रहनुमाई में राष्ट्र ने कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ा और लाखों करोड़ लोग गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में कूद पड़े क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में हमने कर्तव्य परायणता, देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ा था, इसलिये आज राष्ट्र के निर्माण....

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते): अब आप समाप्त कीजिये।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय,...

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते): दो मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा।

श्री कल्पनाथ राय : एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जी, जो हमारी मंत्री हैं और हमारे देश के नेता की नीतियों को चरितार्थ करने के लिये कृत-संकल्प हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे 20-सूत्री कार्यक्रम जो है, इंदिरा जी का 20-सूत्री कार्यक्रम जो 76 में प्रारंभ हुआ था, जो कि दस साल से लागू है, उसके दो-तीन प्रोग्राम हमें पूरे राष्ट्र के पैमाने पर लागू करना चाहिए। सभी बच्चों की अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने ऊपर ले और उन सारे बच्चों को मिड-डे मील देने की व्यवस्था करे। मिड-डे मील को पूरे राष्ट्र के पैमाने पर लागू करके हम नये

भारत के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Sir, I want to congratulate Mr. Kalp Nath Rai for his compliments to our scheme which is effective in Tamil Nadu.

SHRI V. GOPALASAMY: That was started by Mr. Kamraj.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: With all defects. Now all defects have been removed. It is fully developed scheme now.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): That is why they all look so well-fed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): They were not children at that time. Yes, Mr. Gopalsamy.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome this Bill. I have to point out the historic directive which was given by the Supreme Court in the month of July this year. The Supreme Court directed all State Governments to remove from jails all abandoned and destitute children so that they could be rehabilitated. The directive arose following a report by the District Judge of Jalpaiguri in West Bengal about Parbati Das, aged 8 and Sabita Shah who were incarcerated in jail. Chief Justice Bhagwati and Justice Mishra ordered the two children to be shifted forthwith from the district jail to the local children's home. When they were detained in the jails along with hardened criminals, they were not only subject to physical danger but also to destabilising influences from hardened criminals who would not be above persuading them to take to a life of easy crime. So these children, the budding roses of

the generation, will now be free from the sufferings of incarceration and also from the other evil influences of hardened criminals. We will be following an ostrich-like policy, burying our heads under an imaginary hope and confidence forgetting the real facts. Unless we eradicate the cause of the disease, the disease cannot be eradicated. The children, the neglected children, the juveniles, the delinquents, are a product of our society due to socio-economic conditions, due to poverty, due to penury, due to the misery of poverty. There is a saying in Tamil—"Kodithu, Kodithu, Varlimai Kodithu Athannium Kodithu Ilaamai Varumai". It means it is cruel, it is cruel, poverty is cruel, poverty in tender age is more cruel. It is because of poverty that this problem of juveniles has come. We can pass this legislation but I am sure you cannot implement it; it will be very difficult. This will remain on paper. We go to any metropolitan city, any town, we could see hundreds and thousands of children begging in streets. Of course, in some places some criminals maim them, they cut their limbs, remove their eyes, cut their tongues and use them for begging. That is more cruel. It is generally due to poverty, because parents are not able to get bread and butter. That is why these children are forced to take to begging. Now we are banning begging. We can ban begging. But the juveniles the children, their families, have to starve. We have yet not created a society where there is no starvation. We have failed miserably in that. I was very delighted to hear my learned friend. Shri Kalp Nath Rai, when he was speaking about socialism and socialistic pattern of society. I was delighted because after a long time I was hearing such words from the Treasury Benches about socialism and socialistic pattern of society. Whenever the Finance Minister comes and makes his Budget Speech, I have not heard a word about socialism. So the Government is for the 'haves' and not for the 'have-nots'. One aspect is bothering my mind. The juveniles, when they commit offences, they will not be de-  
1540 R.S.—8.

tained in jails, they will not be prosecuted as adults are prosecuted. That will create or pave a path for the criminals to use these boys to commit graver offences, promising them large sums of money to their families, telling them, 'if you commit these offences, you will not suffer conviction or imprisonment or severe punishment; we could supply money to your families, ...'. Therefore, I would request the honourable Minister to apply her mind to put severe stringent, penalty and punishment for those people who induce or instigate or abet them to committing crimes; the culprits behind the scenes should be brought to book. In Clause 9 it is said:

"Every juvenile home to which a neglected juvenile is sent under this Act shall not only provide the juvenile with accommodation, maintenance and facilities for education, vocational training and rehabilitation, but also provide him with facilities for the development of his character and abilities and give him necessary training for protecting himself against moral danger or exploitation and shall also perform such other functions as may be prescribed to ensure allround growth and development of his personality."

Beautifully worded! Homes, observation homes, special homes, after-care organisation: all these things are beautifully worded. But how much funds you have allotted? What provision have you made in this for funds? Even for Delhi, you have earmarked, I think, only Rs. 1.5 crores. Now, take clause 52. It says:

"This State may create a Fund under such name as it thinks fit for the welfare and rehabilitation of the juveniles dealt with under this Act."

Do you think it is possible? Already the States are facing the problem of deficit. You are robbing the money which is due to the States. The Central Government is swallowing the money which is due to the States through the corporate taxes and the



[Shri V. Gopalsamy]

excise duty and now you expect the States to spend money for this and meet the expenditure for this programme. Hundreds of crores will be needed if you are really interested in implementing these proposals. Sir, according to a report which appeared in "The Hindustan Times", a survey was made for the years 1981-83 and it says that the juvenile delinquency all over the country has increased by 40.84 per cent, neglected juveniles have increased by 76 per cent, victimised juveniles by 32.30 per cent, and the juvenile delinquents have increased by 59 per cent. So, it is a socio-economic phenomenon. (Time bell rings) Sir, I will take a couple of minutes more.

Sir, there is the very serious problem of drug addiction and narcotics addiction. Now this has spread from the cities and metropolitan areas to the countryside also. It has become a very serious problem. It is not only the college boys who are addicted to drugs, but the school children also are addicted to drugs, and the criminals are using these boys for traffic in drugs and narcotics. So, the punishment for those persons who will influence the boys with narcotics should be more severe. The punishment should be greater. The punishment which you have provided in this Bill is only a meagre punishment and this should be enhanced.

Sir, while I am welcoming the aim and intention of the Government in bringing forward this Bill, I would, at the same time, like to say that you should provide financial capability to the States to implement these proposals. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Now, Shri Ram Chandra Vikal.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश):  
उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर, जो

किशोर को न्याय देगा, यह राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जी ने पेश किया उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। इस विधेयक का व्यापक समर्थन हुआ है सब तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से।

मैं भी इसका हृदय से समर्थन करता हूँ। कुछ शंकाएँ-शंकाएँ भी दोनों ही तरफ से हुईं। एक बड़ी शंका तो यह है कि राज्य सरकारों पर जो बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है, वह अपनी जगह सही नहीं है। कुछ यह भी शंकाएँ की गई हैं कि इसके लिए धन भाव होगा और समाज और सरकार सब इसमें दोषी है।

तो उपसभाध्यक्ष जी, आपने तो जो अपना वक्तव्य दिया था, मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। वैसे तो मैं हमेशा हर मेम्बर को ध्यान से सुनता हूँ। आपने तो शोध किया लंदन तक जाकर और अपनी पत्नी भी ऐसे ही काम में लगी हुई हैं जैसा आपने वक्तव्य दिया। तो इस तरह के विचारक और समाज सुधारक आज हमारे समाज में रह कहा गया हैं, देखना यह पड़ेगा। जो दोषी है वह हमारा वातावरण भी दोषी है। वातावरण कैसे शुद्ध किया जाए इस पर बहुत से लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। मैं भी अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली में एक बड़े अफसर का मर्डर हो गया। उसके नौकर को पकड़ लिया गया। जब नौकर का बयान हुआ जो कि अखबारों में भी आया था, उस समय नौकर ने बताया कि मैंने यह गोली मारना और गोली चलाना सिनेमा से सीखा है। इस प्रकार उसने अपने मालिक को ही मार दिया। तो सिनेमाओं में जो गलत चित्र दिखाए जाते हैं उसका हमारी नई पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब हमारे स्कूलों की शिक्षा-दीक्षा पहले जैसी नहीं रही है। हम तो जब पढ़ते थे तो हमारे एक प्रश्न गाया जाता था जिसको सब लोग गाते थे वह नौजवान की कभी जब मांग पड़े इस देश को तब मातृभूमि पर प्रथम रखना हमारा प्राण हो। जब यह प्रार्थना हम

गाते थे तो देश की आजादी तो आ गई। आज इन भावनाओं को न बच्चों के बचपन में पैदा किया जा रहा है, न समाज में पैदा किया जा रहा है। भावनाओं का प्रभाव तो बच्चे पर गर्भ से ही पड़ जाता है। माँ-बाप का भारी प्रभाव बच्चे पर होता है। अभिमन्यु ने तो चक्रव्यूह तोड़ने की ट्रेनिंग गर्भ में ही ले ली थी। माँ-बाप का व्यापक असर, गुरु का दूसरे दर्जे पर असर और समाज का तीसरे दर्जे पर असर और सरकार जो आज प्रभावी है उसका असर तो चौथे दर्जे पर ही गया है तो ये सारे जो हमारे प्रभावी क्षेत्र हैं ये अपनी जगह पर सकल होने चाहिए, मगर ये क्यों असफल हो रहे हैं? यह हमारे चिन्तन का विषय आज है। क्या अकेले सरकार ही इसको सोचे? पहले समाज में अपराध करने से लोग डरते थे। समाज में दंड व्यवस्था भी थी। समाज दंडित करता था। अब तो समाज द्वारा किसी अपराधी को दंडित करने की व्यवस्था ही नहीं रही है और न ऐसा साहस ही रहा। मैं तो निःसंकोच एक बात कह दूँ कि हमारे यहां गर्भपात का बड़ा पाप होता था। अब गर्भपात को कानूनी शेष दे दिया गया है, उसे कानूनी संरक्षण मिल गया है। फिर अपराध कहां से कम होंगे, कहां से अच्छे बच्चे पैदा होंगे, बच्चे के अच्छे संस्कार कहां से बनेंगे? ऐसे अनेक सवाल आज समाज और सरकार के सामने हैं जिनके लिए सब को मिल कर सोचना पड़ेगा। इसके लिए समाज की रचना पुनः कुछ पीछे लौट जाए तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लोगों ने गरीबी भी कारण बताया लेकिन अमीरी भी कारण बताया एक सदस्य बोल रहे थे और वह सही बोल रहे थे कि कभी-कभी तो धनवानों के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। उनको पैसा ज्यादा मिलता है तो गलत सोसायटियों में पड़ जाते हैं। गलत सोसायटियों के लोग उनको पकड़ लेते हैं, और उनसे धन लेते हैं। वे शराब पीने लगते हैं और पिलाने लगते हैं। बहुत से अपराधों में धनवानों के बच्चे भी शरीक होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि अमीरों के बच्चे ही ऐसे हों। गरीबों के बच्चे

महान भी होते हैं। इसलिए इन सारी बातों पर हमको चिन्तन करना होगा। जहां तक राज्य सरकारों की ड्यूटी है तो यह ला एंड आर्डर का मामला तो राज्य सरकारों पर ही चला जाता है। कानून हम पास करें और छोड़े उनके ऊपर तो यह भी एक विवादास्पद विषय है, मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो समाज का भय था वह यह होना चाहिए जो सरकार का भय था वह होना चाहिए और जो भगवान का भय था वह तो आज रहा ही नहीं, वह भी चाहिए। इस प्रकार तीन-चार भय समाज में बने हुए थे, भगवान के भय से लोग डरते थे, समाज के भय से लोग डरते थे, और सरकार की दंड व्यवस्था से भी डरते थे। जब दंड व्यवस्था भी इसलिए फेल हो गई कि होशियार वकाल वही है जो कि अपराधी को छुड़ा ले। उस वकील का हमारे समाज में सम्मान है जो कि अपराधी को छुड़ा दे, उसकी फीस भी ज्यादा है और सम्मान भी उसका ज्यादा है। तो फिर अपराध कौन रोकेंगा (व्यवधान) फिर ये बच्चे हैं। ये तो एक प्रकार से समाज के प्रतिबिम्ब हैं, अपने माता-पिता के भी और गुरुओं के भी। अब इन सारे क्षेत्रों में हम सभी को मिल कर एक वातावरण को बनाना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, यू० पी० में मेरे पास वैसे तो बहुत से विभाग थे लेकिन जेल विभाग भी रहा है, मालवीय जी तो जानते होंगे वहां कैम्प जेल बनी हैं एक तो मिर्जापुर घूरवां में और एक नैनीताल में। मैंने बड़े अपराधियों का यहां पर जेल मंत्री की हेंसियत से भी और वैसे भी विजिट किया। बड़े अपराधों पर भी जब उनको काम सौंपा गया है तो उस काम का उनको पैसा दिया गया और उनकी जेल में कटीती हो गई जो कि रात-दिन में काम में लगेंगे और लोग यह खुशी-खुशी भरते हैं कि हमको घूरवां भेजो, हमको नैनीताल भेजो। वहां उनकी सजा कुछ कम हो जाती है। वहां वे रात-दिन लगते हैं। दूसरा जो काम का पैसा उनको मिलता है वह जब खर्च को मिलता है। वे खुलकर काम करते हैं और उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह एक परीक्षण हुआ है जिनको मैं सकल परीक्षण करने

[श्री राम चन्द्र विकल]

को तैयार हूँ। तो अपराधी को कभी-कभी थोड़ा सा सम्मान देकर भी अपराध की तरफ से मोड़ा जा सकता है। खाली दंड से ही अपराधी को मोड़ा जाता तो ऐसी बात नहीं है। अब देखना यह होगा कि कौन दण्ड से ठीक होता है और कौन कौन समझाने से ठीक होता है। इसकी पहचान हमारे जो अधिकारी हैं, उनको होनी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का, जो हमारे बच्चों में अपराध न आए का समर्थन करता हूँ। यूँ तो हमारी मंत्राली जी राजेन्द्र कुमारी जी ने खुद भी कहा बच्चा दोषी पैदा नहीं होता। यह बात सच है। जो बच्चा पैदा होता है, वह निर्दोष होता है और उनको जैसा हम चाहें बना। यह देखा गया है कि बच्चे को जैसे भोजन की ट्रेनिंग दे दें, वैसा ही भोजन लकरने लगेगा। जिस परिवार में जैसा भोजन खाया जायगा, वैसा ही वह करने लगेगा, जैसा कपड़ा पहना जायेगा, वैसे ही पहनने लगेगा और जिस धर्म को वह परिवार मानता है, बच्चा भी उसी धर्म को मानने लगता है। शाकाहारी परिवार का बच्चा भी शाकाहारी होता है। इसलिए साफ है कि बच्चे को बनाया जाता है। इसके लिए हमारे समाज और सरकार को मिलकर के बच्चों को बनाने के लिए काम करना चाहिए स्कूलों में उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग हो और स्कूलों के अलावा समाज में ट्रेनिंग हो। बच्चों की जिम्मेदारी का दायित्व हमारी सरकारों पर आ जानी चाहिए चाहे राज्य सरकार पर हो या केन्द्रीय सरकार पर हो। विशेषकर शिक्षा का दायित्व अगर सरकार पर आजाये और शिक्षा अच्छे ढंग की हो, जिसमें देशभक्ति का भाव हो, सदाचार का भाव हो और इस तरह की भावपूर्ण शिक्षा हो; मैं मानता हूँ कि इस पर धन जरूर खर्च होगा, लेकिन और बहुत सारे काम रोक कर के सरकार इस और ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों में बहुत कुछ अपराध की प्रवृत्ति कम हो सकती है। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI:  
Sir, I am grateful to the hon. Members

for their all-round support to this Bill. Generally, every Member has supported it, though some of them have just expressed their apprehension about the implementation part of it. It is quite natural. The hon. Members are working in the society and know the condition of the present society. Therefore, when such a Bill comes before this august House, this type of apprehension is quite natural. I appreciate that also. But we have to separate the two things. One is the existing situation and the cause of juvenile delinquency and why our children are going to that path. That is one part. On that, some of our Members have expressed their opinion and they think that we must stress on the preventive side of it. Sir, the main purpose of this Bill is to tackle a situation when there is such a malady and when children become delinquent or are neglected. In that case, there must be some protection for them. There must be some remedy. The Government must take care of them. The society also must take care of them. That is why this Bill has come. The welfare of children as a whole has been accorded the highest priority by the Government. The welfare of these children who are neglected or who are delinquent is very important and a greater attention is required to be paid to them. So, the Government is anxious to ensure that this Bill is implemented in letter and spirit by the State Governments.

Now, the fear has been expressed that the Central Government is leaving this important legislation to the State Governments. We have to involve the whole society, the Central Government, the State Governments and even the Panchayats. I would say that the people's participation is necessary. The general awareness of the public is also necessary. Then only we can tackle this problem which is growing day by day. I am not going into the statistics. They have already been given by one hon. Member. Listening to that, one can understand the magnitude of the problem and how serious it is. So, the Bill has been

brought by the Central Government. The twin purpose, I stated in the beginning. One is to bring uniformity.

Now, a question has been raised that as the State Governments have no funds and the Government has not provided the funds, how can it be implemented. You all know that there are existing Children's Acts in all the States. But there are some lacunae in them and proper infrastructure has not been created so far. That is why we had to think of this Bill and this has been brought. And now the Central Government with the consultation of the State Governments gives them guidelines while framing the rules. And at that time we will also see how we can fund it, how we can get the funds and all those things, though for this type of work funds have been allocated in the Seventh Five Year Plan.

Then, we have also indicated in clear terms that for the implementation of this Bill, we are going to take the help from the voluntary organisations. And one of the Members had expressed that even after passing this Bill, the police will be there, the police officer will be there. But this is not the case. In the Bill it is clearly stated that if any neglected child or delinquent child is found, that juvenile child will be brought before the Board. In Chapter III, Clause 13, it is clearly stated: "If any police officer or any other person or organisation authorised by the State Government"... So, it is not only the police officer but also 'any other person or organisation'. So, they are also involved in it. If any police officer or policeman has just found that child roaming about or doing something, he will not touch the child. The provision is that he will bring the child to the observation home and within 24 hours, after proper enquiry, he will be brought before the Board by this observation home. So, under no circumstances, under no condition is he going to be put in the police lock-up or police custody. That is very clear in this Bill. So, there should be no apprehension in the minds of our hon. Members. The whole pur-

pose of this Bill is that we are not going to keep these delinquent or neglected juveniles under police custody and they will not be treated as the other have said while speaking on this Bill.

Then, we have said in this Bill very clearly that "every juvenile taken charge of under sub-section (1) shall, unless he is kept with his parent or guardian, be sent to an observation home, but not to a police station or jail, until he can be brought before a Board". So, it is very clear. So there should be no fear or apprehension over this. This is a very comprehensive Bill and all these years, whatever was the thinking whether it was the Supreme Court judgement or of some other voluntary organisations or persons who are interested in

5.00 p.m. children's welfare, opinion expressed by them, seeing all these conditions prevailing in our country, whether it is in the city or in the rural side, we have taken care of these things.

One of the points raised by Shri Satya Prakash Malaviyaji was why a lawyer is not allowed because this is their fundamental right and why this clause for taking permission has been included in this Bill. I think there is nothing wrong in it when we say that if anybody wants to have the help of a lawyer he can take the permission and have it. But, at the same time, our aim is, our purpose is, that lawyers should not come into the picture and rather voluntary organisations or voluntary agencies or those agencies which are working in the juvenile field, they should come forward. So, this has been discouraged. But it has not altogether been forbidden. That is not the case.

Some of the hon. Members have said that the sentence or punishment to those who exploit children should be higher and one of our hon. Members suggested that there should be the provision for life imprisonment for those who force children for begging and immoral work. We have said in this Bill that the maximum punishment for the present is three years. Let us see how it works. If it works properly, it will be all right. Otherwise we can again review it.

[Dr. Rajendra Kumari Bajpai]

Sir, the main fear expressed from all sides was that there will be paucity of funds, that there will be no funds with the State Government and that the Bill after passing will be put in the waste paper basket and it will meet the same fate as is met by many other Bills. I do not agree with this sort of an argument because if we agree to this, that means there should be no social legislation. Rather I think that this is a very revolutionary social legislation and we must go for it. You all know that the United Nations has passed only in 1985 such guidelines recommending them to all the Member States and we are one of the Member States. We think that after passing this legislation we will be doing what the U.N. has directed us to do, directed all the Member States to do. I do not agree that this Bill will remain only as cosmetic "Mahaz shringar ban kar rah jayega". I do not think that this will be the case, because the Bill is there, the Children's Act is there. The only thing is that we have to bring uniformity and at the same time those lacunae which were preventing its implementation those who have tried to remove. So, we will be able to implement it. We all know that the socio-economic reasons are primarily responsible for children becoming delinquent. And for that, there are other programmes, economic programmes, 20-point programme, which are meant for the poorer sections of society and for those who are living below the poverty line. So, attempts are going on. We have to try for preventive measures. At the same time, if there is any disease, and if we find symptoms of the disease, treatment must also be there. So, treatment for this disease is needed. These symptoms exist in the society and we cannot shut our eyes when such a situation prevails. We have to act and face the situation, and in facing this, we have to take the help from all sections of the society, from voluntary agencies, from State Governments and from the people as a whole. This is the main purpose of this Bill and I hope this Bill meets

our requirements and it is very much needed for the welfare of our children, and this will help in building up a healthy nation. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): The question is:

"That the Bill to provide for the care, protection, treatment, development and rehabilitation of neglected or delinquent juveniles and for the adjudication of certain matters relating to, and disposition of, delinquent juveniles, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): We shall now take up clause by-clause consideration of the Bill.

*Clause 2 to 63 were added to the Bill.  
Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI:  
I move:

"That the Bill be passed."

*The question was put and the motion was adopted.*

#### **THE INFANT MILK FOODS AND FEEDING BOTTLES (REGULATION OF PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) BILL, 1986**

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the regulation of production, supply and distribution of infant milk foods and feeding bottles with a view to the protection and promotion of breast feeding and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The World Health Assembly adopted in May, 1981, an international code of marketing of breast milk substitutes, for the proper nutrition and health of the world's children. The Government of India recognised the Code and adopted the Indian Nation